

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग
सं० /XXVII(8)/ वाणिज्य कर (वैट) / 2007
दिनांक: देहरादून: २५. ६. २००७
अधिसूचना ०१-२००८

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है; अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(अधिनियम सं० १, वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपष्टित उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० २७ वर्ष 2005) की धारा ४ की उपधारा(4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की अनुसूची—। की क्रम संख्या—५८ की निम्नलिखित प्रविष्टि को विलोपित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

“५८. तम्बाकू जिस पर अतिरिक्त उत्पाद—शुल्क(विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद—शुल्क उद्ग्रहणीय हो और इसमें बीड़ी, सिगरेट एवं सिगार सम्मिलित है लेकिन गुटका और आयातित तम्बाकू सम्मिलित नहीं है” ।

आज्ञा से

Mukund Jain
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

296
सं० /XXVII(8)/ वाणिज्य कर(वैट) / 2007 तदनुसार
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अंग्रेजी गाही हेतु प्रेषित:—

- 1—आयुक्त कर, उत्तराखण्ड देहरादून,
- 2—उपनिदेशक, राजकीय प्रेस, रॉडकी को अधिसूचना दें हिन्दी, अंग्रेजी प्रतियों इस अनुरोध सहित कि असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250—250 प्रतियों वित्त अनुभाग ८ को अथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3—गोपन अनुभाग।

Mukund Jain
प्रमुख सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

1205
2-6-07

In pursuance of the provision of Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 296 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007 dated 01-JUNE for general information.

UTTARAKHAND SHASAN
VITTA VIBHAG
No. 296 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007
DATED; DEHRADUN; 14 JUNE 2007


Notification

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section 4 of Uttarakhand (now Uttarakhand) Value Added Tax Act,2005(Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904(U.P. Act no.1 of 1904)(as applicable to the State of Uttarakhand) the Governor is pleased to **delete the following entry at Sl.No. 58 of Schedule I of Uttarakhand (now Uttarakhand) Value Added Tax,2005** with effect from the date of publication of this Notification in the gazette.

"**58. Tobacco on which additional excise duty is leviable under Additional Excise Duties (Goods of Special Importance) Act,1957, including Bidi, Cigarette and Cigar but excluding Gutka and imported varieties of Tobacco."**

By order,


(ALOK KUMAR JAIN)
Principal Secretary Finance